पत्रांक–मो0 2--सिवान (अनापत्ति)--212 / 2022– 1562

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सीवान–01

पटना, दिनांक:– 29-07-2026

विषय:-- सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना AWSHESH (SC) योजनान्तर्गत बड़हरिया–जामों प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पथ से नवलपुर उप वितरणी (दाँया बाँध) के सेवापथ पर कि0मी0 0.00 से कि0मी0 1.40 तक बिटुमिनस सड़क निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान का पत्रांक 1687 दिनांक 20.05.2026 एवं आपका पत्रांक 2434 दिनांक 22.12.2025

महाशय,

सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना AWSHESH (SC) योजनान्तर्गत बड़हरिया–जामों प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पथ से नवलपुर उप वितरणी (दाँया बाँध) के सेवापथ पर कि0मी0 0.00 से कि0मी0 1.40 तक बिटुमिनस सड़क निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् समीक्षोपरांत विषयक कार्य हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:–

1. नहर के मूल स्वरूप यथा रूपांकित सेक्शन में किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अथवा छेड़--छाड़ नहीं किया जाय।
2. नहर सेवापथ के मूल डिजाईन सेक्शन को यथावत् रखते हुये पर बिटुमिनस सड़क निर्माण कार्य कराया जाय।
3. नहर बाँध पर कार्य कराये जाने के कारण किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी मरम्मति / सुरक्षा पर होने वाले व्यय की जिम्मेवारी योजना प्राधिकार की होगी।
4. कार्य के दौरान नहर द्वारा किए जा रहे पटवन को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं किया जाय।
5. निर्माण कार्य के समय नहर से संबंधित कार्यपालक अभियंता को निश्चित रूप सेससमय सूचना दी जाय ताकि नहर के रूपांकित सेक्शन आदि की जॉच आवश्यकतानुसार समय–समय पर उनके द्वारा की जा सके।
6. जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा समय–समय पर दिए गए दिशा--निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय।
7. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल से अनावश्यक सामग्रियों मलवा आदि को हटाने एवं साफ–सफाई की पूर्ण जिम्मेवारी कार्य कराने वाले प्राधिकार / विभाग की होगी।
8. उक्त निर्माण कार्य से विभागीय स्वामित्व किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा।

9. नहर के बाँध पर जल संसाधन विभाग के द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य तरह का कार्य कराया जा सकेगा एवं उपयोग का अधिकार जल संसाधन विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
10. नहर के Dowel Section को पूर्णरूपेण सेक्शन में स्थापित रखना होगा।
11. नहर बाँध के Formation Level को बिल्कुल Maintain रखना होगा एवं किसी भी परिस्थिति में बाँध पर बिटुमिनस सड़क निर्माण कार्य नहर बाँध के रूपांकित Formation Level के नीचे नहीं किया जायेगा।
12. नहर बाँध के Formation Level को Maintain करने के लिये आवश्यकता पड़ने पर मिट्टी की कटाई नहर के किसी भी सेक्शन अथवा नहर चार्ट से मिट्टी नहीं काटा जायेगा।
13. कार्य के दौरान नहर के सेवापथ पर आवागमन को बंद नहीं किया जायेगा।
14. उपरोक्त शर्त्तों का उल्लघंन होने पर कार्य को अवैध माना जायेगा।

विश्वासभाजन

29/7/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांकः—मो0 2—सिवान (अनापत्ति)—212/2022— 1562 /पटना, दिनांकः 29-07-2026

प्रतिलिपिः— मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान/अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, महाराजगंज को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित शर्तों के अनुपालनार्थ प्रेषित।

29/7/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांकः—मो0 2—सिवान (अनापत्ति)—212/2022— 1562 /पटना, दिनांकः 29-07-2026

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांकः—मो0 2—सिवान (अनापत्ति)—212/2022— 1562 /पटना, दिनांकः 29-07-2026

प्रतिलिपिः— कार्यपालक अभियंता, IT Centre, WRD को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।